~~न्यायालय माननीय अपर कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर~~

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवन्यू ग्वालियर

R-2676-III/12

श्रीमती सरस्वती बाई पत्नी श्री हरिशंकर ब्राम्हण

निवासीग्रामबड़खेड़ा तह• पवई जिलापन्ना

-- आवेदिका

|| विरूद्ध ||

1• तंतुवा तनय मिठवा चमार (मृत)

1• रामाबाई पत्नी स्व• तंतुवा चमार | सभी नि• ग्राम दनवारा तह• पवई जि•पन्ना

2• मिलन तनय तंतुवा चमार

3• कमलेश तनय तंतुवा चमार

4• सियाराम तनय तंतुवा चमार

5• ...

2• म०प्र०शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 --- अनावेदकगण

म•प्र• भू राजस्व संहिता ,

12/23 MAY 2012

श्री ... सागर

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

आवेदिका निम्नलिखित प्रार्थना करती है:-

1- यह कि आवेदिका उक्त निगरानी आदेश श्रीमान अपर ... कलेक्टर पन्ना के प्र०क्र० 12/स्वमेव निगरानी/अ/21 आदेश दिनांक 5•3•2012 से पीड़ित होकर कर रही है ।

2- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार पवई के द्वारा एक ज्ञापन दि• 26•2•2011 को प्रतिवेदित किया था कि ग्राम ... खजूरी वीरान की भूमि खसरानंबर 109 रकबा 1•00हेक्टेयर तंतुवा तनय मिठुवा चमार निग्राम दनवाराको बंटन में प्राप्त हुई थी जो उसके द्वारा आवेदिका को विक्रय कर दी गई है उक्त भूमि तंतुवा को पवई से मूल अभिलेख मंगाया गया जो नायब तहसीलदार सिमरिया ... 20अ/19/1/ वर्ष 75-76 के अनुसार पुराना खसरा नंबर 37/1 था जिसे दि• 21•12•1975 में भूमि बंटित की गई थी बंदोबस्त के पश्चात उक्त आराजी का नवीन खसरानंबर 1092

P.T.O.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2676–दो/2012 जिला पन्ना

श्रीमती सरस्वती बाई विरूद्ध तंतुवा मृत वारिस रामाबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 12/स्वमेव निगरानी/अ–21/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 08/3/19 सदस्य	